

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक:- 6/प्राक्क01-1062/2025-610  
सेवा में,

पटना-15, दिनांक:- 26/05/26

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

**विषय:-** राज्य योजना अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, झंझारपुर के तहत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना, गनौली एवं खुटौना अंतर्गत उच्च प्रवाही नलकूप के असफल/डिस्वार्ज घट जाने के फलस्वरूप उसके स्थान पर नये उच्च प्रवाही नलकूप के निर्माण कार्य हेतु कुल 21.45200 लाख रुपये (इक्कीस लाख पैतालीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

**आदेश -** राज्य योजना अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, झंझारपुर के तहत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना, गनौली एवं खुटौना अंतर्गत उच्च प्रवाही नलकूप के असफल/डिस्वार्ज घट जाने के फलस्वरूप उसके स्थान पर नये उच्च प्रवाही नलकूप के निर्माण कार्य हेतु कुल 21.45200 लाख रुपये (इक्कीस लाख पैतालीस हजार दो सौ रुपये) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना के निर्माण मद पर होने वाला व्यय बजट का (I) मुख्य शीर्ष-4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति-उपशीर्ष-0101- ग्रामीण जलापूर्ति योजना द्वारा विषयशीर्ष (53-01) निर्माण कार्य मृतदेय शीर्ष-विपत्र कोड-36-4215011020101 अंतर्गत भारितव्य होगा।

3. इस योजना का सूत्रण कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, झंझारपुर द्वारा उचित माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के आधार पर किया गया है।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, झंझारपुर होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

7. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

8. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

9. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

10. योजना की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त होने के उपरांत निविदा के माध्यम से कार्य कराया जाएगा।

11. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

12. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता (असैनिक) की होगी। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनके द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

13. वर्ष 2026-27 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

15 प्रात

है।

15. उक्त कार्य पर विभागीय स्थायी वित्त समिति एवं स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त है।
16. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. इस पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अभय  
26/05/26

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक :-6/प्राक्क01-1062/2025-6/0 पटना- 15, दिनांक :-26/05/26  
प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/ जिला पदाधिकारी, मधुबनी/ संबंधित कोषागार  
पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन/  
मुख्यालय)/ मुख्य अभियन्ता (दक्षिणी बिहार)/ मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/ विशेष पदाधिकारी/  
बजट पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/ अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना  
अंचल संख्या-2/4/ उप निदेशक (मू0)/ प्रशाखा -6/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण  
विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/  
अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा/ कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य  
प्रमण्डल, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री महोदय के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

अभय  
26/05/26

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)